



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938

No. 255]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/JYAISTHA 24, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 1 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.1 में,-

(क) खंड 2 में, “आयोडीन मान 98 से 112 तक होगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर “आयोडीन मान 98 से 123 तक होगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड 24 में, मद 4(ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(iii) वस्तुतः परिष्कृत राइस ब्रान तेल के साथ सम्मिश्रित

भार के अनुसार 4.0 प्रतिशत से अधिक नहीं परंतु आरेजनोल तत्व राइस ब्रान तेल के साथ 20 प्रतिशत स्तर पर न्यूनतम 0.20 % (भार द्वारा) और सम्मिश्रण में राइस ब्रान तेल तत्व के प्रत्येक 5% में 0.05% की वृद्धि के साथ हो।”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन. III /4/असा./136(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा. सं. पी. 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी , 2016 और
- (xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोग्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Food Safety and Standards Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2016

F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2016, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated the 1st April, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th April, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulation

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Third Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.2, in sub-regulation 2.2.1,-

(a) in clause 2, for the words and figures, “Iodine value 98 to 112”, the words and figures “Iodine value 98 to 123” shall be substituted;

(b) in clause 24, after item 4(ii), the following item shall be inserted, namely :-

“(iii) Blended with physically refined
rice bran oil

Not more than 4.0 percent by weight; provided that oryzanol content be minimum of 0.20% (by weight) with rice bran oil at 20% level and with an increment of 0.05% with every 5% rise in rice bran oil content in the blend.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./136(187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F. No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;

-
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
 - (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
 - (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
 - (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
 - (x) F. No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
 - (xi) F. No. P. 15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
 - (xii) F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016 and
 - (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification (Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016.